

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]**

कान्फ्रेंस लेने की कोई बात न हो, केन्द्र की ही पूरी व्यवस्था हो तो हम सीमा सुरक्षा प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं।

इस लिये मैं चाहूंगा कि यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय। यह छोटा सा अमेंडमेंट है, कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आगे चल कर इसके कारण कोई वैसी रुकावटें हमारे सामने न आ सकें जैसी कि आसाम और राजस्थान के बारे में हमने बताई। राजस्थान के उस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को बसा कर हम सीमा सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन वह अभी तक संभव नहीं हो सका। इसी तरह से काश्मीर की स्थिति है, जहां पर घुसपैठ होती रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें ताकि फिर वैसी बात न हो सके।

**SHRI Y. B. CHAVAN :** I am afraid the hon. Member has not really speaking understood the clause as such. Sub-clause (2) to which he has moved the amendment reads like this:

“The Central Government may, by general or special order published in the Official Gazette, confer or impose, with the concurrence of the State Government concerned, any of the powers or duties which may be exercised or discharged under a State Act...”

When we are trying to give duties and responsibilities under the State Act to our officers naturally we will have to get their concurrence but this has nothing to do with border security as such. Certainly for the security of the border no concurrence of the State Government is required but when we want to impose a duty or a responsibility on our officer which duty or responsibility is under the State Act and of the State Police officer, naturally in that matter we will have to take the concurrence of the State Government. There is nothing wrong about that and he wants to remove the State concurrence there.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) :** The question is :

“That at page 46, lines 2—3, the words ‘with the concurrence of the State Government concerned’ be deleted.”

*The motion was negatived.*

**THE VICE-CHAIRMAN :** The question is :

“That clause 139 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 139 was added to the Bill.*

*Clauses 140 to 142 were added to the Bill.*

*Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.*

**SHRI Y. B. CHAVAN :** Sir, I move :

“That the Bill be passed.”

*The question was put and the motion was adopted.*

### THE GOLD (CONTROL) BILL, 1968

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) :** Mr. Vice-Chairman, as the House is aware a Bill has been introduced in the Lok Sabha on the 22nd July, 1968 to replace the Gold (Control) Ordinance, 1968. A statement has already been circulated to hon. Members of this House explaining why immediate legislation by promulgation of an Ordinance was necessary to continue the law relating to Gold Control. The Lok Sabha has adopted a motion to refer this Bill to a Joint Committee of the two Houses and has sent a message to this House recommending that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and nominate 13 Members of the Rajya Sabha to be appointed to the said Joint Committee.

The basic gold policy of the Government has been explained on the floor of this House on several occasions and at this stage it is not necessary for me to go into details to reiterate the justification for following this policy.

Suffice it to say that the country can ill-afford to fritter away its scarce foreign exchange resources on the clandestine imports of gold. It has to be recognised that Customs vigilance by itself cannot be sufficient to effectively combat smuggling over the long borders and vast coast lines. The anti-smuggling measures have necessarily to be supplemented by a detailed

system of control over internal transactions so as to make the circulation of smuggled gold more and more difficult. The Committees, which were asked to report on this subject, have endorsed the policy underlying the gold control measure and after full discussions it was approved by Parliament when it enacted the Gold (Control) Act, 1965.

Before the Gold (Control) Act, 1965 was passed, the Bill was referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament. This Committee, constituted under the Chairmanship of Shri S. V. Krishnamoorthy Rao, comprised 45 Members. The Committee examined the Bill in great detail in thirteen sittings and received a large number of written memoranda and representations, as many as nearly two lakhs. The Committee also took oral evidence and 47 associations, apart from some Members of Parliament and officials, appeared before it to give evidence. After this elaborate consideration, the Joint Committee commended the Bill to Parliament, which then enacted the Gold (Control) Act, 1965.

The basic pattern of control, which was incorporated in the Gold (Control) Act, 1965, was in essence, far more restrictive and strict than what is now embodied in the Gold (Control) Bill, 1968. Under the 1965 Act, there was a 14-carat restriction on the manufacture of ornaments. It is no longer there. Instead, the modifications of the Gold (Control) Ordinance announced in 1966 provide for a ban on private possession of primary gold, declaration of ornaments above specified limits and stricter Government control over gold refineries. These measures, which have been discussed in Parliament on several occasions, cannot be said to unduly affect either the public at large or interfere with the legitimate business of goldsmiths and gold dealers. The present Bill only seeks legislative sanction for this modified pattern of gold control. Apart from changes of a drafting nature and rearrangement of the Chapters, the only other changes in the present Bill are with a view to tightening up the procedural aspects of the control and removing some administrative lacunae.

Hon. Members will, no doubt, appreciate that the basic policy underlying the gold control measure, even when the pattern of control was more restrictive and stringent, has already received elaborate consideration by a Joint Committee. Further, according to article 123 of the

Constitution, the Gold (Control) Ordinance has to be replaced by a statute within six weeks of the commencement of the current session of Parliament. Accordingly, by a motion adopted by the Lok Sabha, the Joint Committee has been asked to submit its report by 9th August, 1968.

With these words, I move the following Motion:

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production manufacture, supply, distribution, use and possession of, and business in, gold, ornaments and articles of gold and for matters connected therewith or incidental thereto and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee:—

1. Shri B. C. Pattanayak
2. Shrimati Yashoda Reddy
3. Shri Gurmukh Singh Musafir
4. Shri Dayaldas Kurre
5. Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar
6. Shri Sukhdev Prasad
7. Shrimati Vimal Punjab Deshmukh
8. Shri Dayabhai V. Patel.
9. Shri Rattan Lal
10. Shri Balkrishan Gupta
11. Shri Z. A. Ahmad.
12. Shri Banka Behary Das, and
13. Pandit S. S. N. Tankha.”

*The question was proposed.*

**SHRI MULKA GOVINDA REDDY** (Mysore) : I want one information from the Minister. When this Gold Control Order was first enacted, thousands of goldsmiths were displaced. I would like to know what were the concessions that were given and to what extent and in which States they have all been implemented.

**SHRI DAHYABHAI V. PATEL** (Gujarat) : I want to put one question. Does the hon. Minister think it practicable that the Joint Committee will sit and submit its report before the 9th August? Does he expect Member of the Joint Committee to forget all other business and con-

[Shri Dahyabhai V. Patel]

concentrate only on this? (*Interruption*), I do not think it is practicable. Yesterday we have seen how they want to rush through things.

SHRI K. C. PANT : I must try to explain that we are functioning under a certain pressure of time because this Bill has got to be enacted within six weeks of the commencement of the session of Parliament.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : इतनी जल्दी तो न हो, इतना समय तो हो कि लोग इस पर विचार कर सकें ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Government seems to have a funny idea of time.

SHRI K. C. PANT : It is in that light that we want to deal with this matter quickly. Shri Dahyabhai Patel is a member of the Joint Committee. I think we shall proceed in a manner in which he will also be satisfied that we have not rushed through it and he has had sufficient time to have his say.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : In Joint Committees I have tried to function effectively, and therefore from my experience I say that it is not practicable to do it in this way. I do not go and remain absent during the period when I am a member of the Committee. We have not finished with the Monopolies Bill yet.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता लेकिन जब यह बिल स्वयं प्रवर समिति में जा रहा है इसलिये कि वहां इस पर पूर्ण विचार हो तो प्रवर समिति में इसके जाने के पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बिल है जिसका असर सम्पूर्ण देश के एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों पर हुआ है और शायद प्रवर समिति के सदस्य ही नहीं बल्कि माननीय दोनों सदनों के सदस्य भी उससे परिचित हैं । कुछ ऐसा लगता है, कुछ संयोग ऐसा बैठ जाता है कि यह बिल उस समय आया था जिस समय कि माननीय मोरारजी भाई देसाई मंत्री थे और यह बिल उस समय

करीब करीब नाकाबिल हो चुका था जब कि श्री मोरारजी भाई देसाई मंत्री नहीं रहे और अब फिर यह आर्डिनेंस की जगह बिल का रूप धारण करके आ रहा है जब कि संयोग से मोरारजी भाई देसाई मंत्री हो गये हैं । मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आर्डिनेंस के कारण ही, एक बहुत बड़े वर्ग के अभिशाप के कारण ही, शायद मोरारजी भाई देसाई को मंत्रित्व से विदा लेनी पड़ी और हो सकता है कि इस बिल के पास होने के बाद यह अभिशाप शायद स्थायी रूप से अभिशाप न बन जाय इसलिये कि जिस मंशा से, जिस मंतव्य से आप इस बिल को लाना चाहते हैं कि देश में सोने का तस्कर व्यापार रुके, लोगों का सोने के ऊपर से मोह हटे और वह सोने को व्यवसाय में लगायें वह अब तक पूरा नहीं हुआ । जो यथार्थ को देखने वाले हैं वह जानते हैं, मैं भी यथार्थ दुनिया में रहता हूं, कि जिस इंस्पेक्टर को आप यह काम देते हैं कि सोने की स्मगलिंग को रोके, शुद्ध सोने के जो जेवर बन रहे हैं उनको रोके, वह क्या करता है आपने देखा है और जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनमें से कोई भी नहीं है जिनके घरों में लड़के बच्चे की शादी न होती हो और जिसमें सोने के जेवर न चढ़ते हों । माननीय सदस्य और माननीय सदस्यार्थे सोने का व्यवहार भी करते हैं । तो हम स्वयं तो इसका व्यवहार करें और दूसरों को कहे कि इसका व्यवहार न करो । मुझे एक अफसर की बात याद आती है । वह सोने की जांच करने जाता था । संयोग से उसके यहां शादी थी और उसने सोने की अंगूठी बनवानी चाही और जब सर्राफ ने उसको सोने की अंगूठी बना कर देने से इंकार कर दिया तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया और उसने किसी दूसरे मित्र के द्वारा सोने की अंगूठी बनवाई । तो यथार्थ रूप में बात यह है कि अभी भी भारतवर्ष में सोने का मोह सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि सोने का मोह पवित्रता के रूप में है और इसलिए जेवर के रूप में बनाकर उसे पहना जाता

है। आप चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हिन्दुस्तान में बढ़े। मुझे भी खुशी होती कि गांव गांव में चाहे वह सहकारिता के द्वारा होता या दूसरी तरह से होता गांव गांव में बैंकिंग सिस्टम बढ़ता और लोग उसमें रुपया रखते और सुविधानुसार अपने काम के अनुसार उस रुपये को निकाल पाते लेकिन 20 वर्ष के शासन में आपने क्या किया। आप ऐसा काम नहीं कर सके जिससे कि बैंकिंग सिस्टम बढ़ सके। साथ ही साथ मैं तो यह कहूंगा कि आपने रुपये का इतना दुर्व्यवहार किया है कि अगर वह सोना बन कर हिन्दुस्तान में रह जाता तो शायद महाराणा प्रताप के समय का कोई भामाशाह निकल कर के आ सकता था और समय आने पर उसको सदुपयोग के काम के लिये दे सकता था। और आपको मालूम होगा कि चाहे चायनीज एग्रेसन का समय हो चाहे पाकिस्तान से युद्ध का समय हो पूरे हिन्दुस्तान की जनता ने दिल खोल कर के सोना और पैसा से मदद की थी। आपको यह याद होगा लेकिन आपने आज तक उस सोने का हिसाब नहीं दिया, आपके एस० डी० ओ० से ले कर ऊपर तक के लोग उसका पूरा पूरा हिसाब नहीं दे सके। आपको मालूम होगा कि सैंकड़ों बार गवर्नमेंट ने कहा लेकिन वह सोना आपके अधिकारी निगल गये और आपको न भरोसा हो तो बम्बई और कलकत्ते के कोर्ट में जा कर देखें कि सोने की कितनी छड़े निकल कर आती हैं...

**श्री डाह्याभाई व० पटेल :** सुखाड़िया जी ने क्या किया, उस केस का तो हाई कोर्ट में जिक्र हुआ।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** आपने अखबारों में देखा होगा कि राजस्थान में स्मगलिंग का हड कोन कहलाता है, कोन स्मगलर किंग कहलाता है। मैं बार बार कहता रहता हूं नेपाल की सीमा से हर रोज सामान आता है और आप उसको रोक सकते हैं, आपके हाथ में कौन सी ताकत नहीं है, फिर भी आप रोकते नहीं हैं। आप कहते हैं कि फिर से जो

पुरातन कारीगरी की चीजें हैं उनकी रक्षा की जायगी लेकिन ये कारीगर जो कि देश भर में फैले हैं उनकी रक्षा नहीं करते। आपने उनकी संख्या 20 लाख से ऊपर कही है लेकिन मैं तो कहूंगा कि 20 लाख तो स्वर्णकारों के परिवार माने जाते हैं लेकिन स्वर्णकार के कारोबार में कितने लगे हुये हैं, कितने उनके सहयोगी हैं उसको मैं आपको गिनाऊं तो आपको सुन कर आश्चर्य होगा। इसमें जो लोहे का ढांचा बनाकर देने वाले हैं वह हैं, फिर मिट्टी के सांचे बना कर देने वाले होते हैं, फिर उस कोयले को देने वाले होते हैं जिसमें कि सोने को गलाया जाता है, फिर वह हैं जो कि उस कोयले की राख को लेने वाले होते हैं जिसमें से कि सोना प्राप्त होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो एक नहीं बल्कि ग्यारह या बारह तरह के दूसरे लोग हैं जो कि शायद आपकी लिस्ट में नहीं आते हैं और जिनको आप कुछ मदद के स्वरूप में देना भी चाहे तो आप दे नहीं सकते हैं।

तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो यह बिल लाये हैं इस बिल से आपने तीन वर्ष काम लिया है तो क्या वस्तुस्थिति में आप बता सकते हैं कि इस बिल से आप स्मगलिंग को रोक पाये, इस बिल से क्या आप यह विश्वास जनता में जमा पाये कि सोने को मत रखो, सोने का जेवर मत बनाओ और सोने को कारोबार में लगाओ। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि तीन वर्ष में आपका यह कानून असफल रहा है। सोने का कुछ तस्कर व्यापार अगर रुका है तो वह इसलिये नहीं रुका है कि आपका कानून है बल्कि इसलिये रुका है कि दुनिया में उसकी मांग कम हुई है। दुनिया में जिस किसी चीज की मांग बढ़ती है उसका तस्कर व्यापार अधिक होता है और आज दुनिया में चांदी की मांग है और आपके देश से चांदी जा रही है और आपका कानून कुछ नहीं कर पाता है। आज दुनिया में सोने

[ श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ]

की मांग कम है इसलिये सोने की तस्करी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन सोने की डिमांड यहां है, जितने आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको अगर अपना पैसा रखना होता है, जो कि बैंक में अंधाधुंध कमाया गया है तो वह उसको कैसे रखेगा, कहां रखेगा। अगर वह मकान बनाता है तो इंकमटैक्स में पकड़ा जाता है, बैंक में जमा करता है तो इंकमटैक्स में पकड़ा जाता है इसलिये न सफेद मकान बन सकता है और न सफेद नोट ही जमा हो सकती है तो उसके लिये एक ही उपाय है कि वह सोने को रखे, सोने की ईंट बना कर या सोने के बिस्कुट बना कर रखे और वह जमीन के भीतर पड़ा रखे। तो आप कानून बना कर चाहते हैं कि सोने का जो मोह लोगों को है वह मोह चला जायगा लेकिन आप देखते होंगे कि सोने का मोह छुटने के बजाय सोने का मोह बढ़ता जा रहा है।

एक बात में और इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं। आप जरा हिसाब कर के देखें कि दस वर्ष पहले जिसने सोना रखा होगा उसका क्या मूल्य हो गया होगा और इस समय में जो रुपये का मूल्य है वह क्या है, उसमें और रुपये के मूल्य में कितना फर्क है। आज रुपये का मूल्य 10 या 15 नये पैसे है और सोने का मूल्य दस गुना अधिक हो गया है तो फिर लोगों का विश्वास आपके करेंसी नोट पर होगा या सोने पर होगा जिसकी कीमत स्थायी है या जिसकी कीमत बढ़ती ही जाती है, जिसकी कीमत किसी भी कारण से घटती नहीं है। तो मैं आपसे आप्रह कछुंगा कि जरा सोच समझ कर इस एक्ट को लायें जो कि काला एक्ट कहा गया है। जब यह एक्ट आया तो लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैं अगर सचमुच में उस बात को धोरेवार बताना चाहूं तो सदन को उसे मुन कर बड़ा दुख होगा। इस एक्ट के कारण एकाएक देश में आफत आई और ऐसा नहीं

हो कि सुनार या सोने का व्यवसाय करने वाले या सोने में कारीगरी करने वाला अचानक घबड़ा जाय कि क्या किया जाय। बहुत से सोने के कारीगर हम लोगों के पास आते थे और कहते थे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं...

श्री के० सी० पन्त : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को याद दिला दू कि यह तो 1968 ई० का एक्ट है, आप तो पुरानी बातें कह रहे हैं, वह सब बातें इसमें बदल गई हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह तो गोल्ड कंट्रोल एक्ट है, सभी बातें उसमें सम्मिलित हैं।

श्री के० सी० पन्त : अलग अलग चीज है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अलग अलग है लेकिन संदर्भ में सब चल जाता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): It is a very much changed Act.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : चेंज होने के बाद भी जो पहले था उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कागज पर शायद कुछ लगता हो कि सुधार कुछ हुआ है देखने में ऐसा लगता हो लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उस एक्शन को रिएक्ट करता है। उसका मैं एक वर्णन देना चाहता था। इसलिए कि शायद हो सकता है बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों के पास जा सकें, न जा सकें, यद्यपि जाने का मौका जनता का कार्यकर्ता होने के नाते सबको था। (Interruption) गोल्ड कंट्रोल तो जनता के लिए है, जनता के पास गोल्ड नहीं है इसलिए आटोमैटिक कंट्रोल है। लेकिन जो कारीगर थे, स्वर्णकार थे, वह इतने बेचैन थे क्योंकि उन्हें आपने कोई काम नहीं दिया जो वह कर सकते थे, जब कि आपने कहा था उनको उद्योग देंगे, आपने कहा था इनको लोन देंगे उनके लड़के बच्चों को नौकरी देंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगे। मुना था

एक दो अखबारों में यह बात आई थी कि किसी एक को नौकरी मिली थी शाइ लगाने की। सुनार का काम तो ऐसा होता है कि किसी सीजन में कमाई होने पर उसका साल भर का खर्च निकल जाता है लेकिन आपके इस गोल्ड कंट्रोल एक्ट के कारण उसकी जीविका में बदलाव आया लेकिन सबसे बड़ी चीज देखने को यह मिली कि अपने लायक रोजगार नहीं मिलने पर वह पानी पानी हो गया, बहुत से लोगों ने आत्म-हत्या, सुइसाइड, किया क्योंकि परिवार का दुख देखा नहीं जा सका। उन्होंने कहा देखो समाज की रचना आप अच्छा करना चाहते हैं और समाज की रचना में, समाज में बदलाव लाने के लिए आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे हम जिंदा न रहें तो हम इस एक्ट की मुखालिफत करेंगे। उनमें से बहुत से लोग जो इन्टेलिजेंट थे, तेज थे, वह स्मगलिंग का काम करने लगे। आपने उनको बाध्य किया कि अवैध कार्य करें। आपके एक्ट से घबरा कर बड़े बड़े पूंजीपति लोग दूसरे कारोबार में लग गए, किसी ने दुकान खोल दी, किसी ने कुछ किया लेकिन गरीब आदमी का रोजगार मारा गया। सिर्फ यही नहीं कि जो सोने का व्यापार करते हैं उनको अवैध व्यापार करने के लिए आप बाध्य करते हैं साथ ही साथ उनको बुरे लोगों के हाथ में बेचते हैं जो सोने के फेर में पीतल भी दे देते हैं। इस बिल पर जब हम विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको वैचारिक रूप से लगता है कि एक ओर तो सचमुच इस बिल में बड़ा गम्भीर उद्देश्य मालूम पड़ता है लेकिन दूसरी ओर यह भी लगता है कि जिस पर यह एक्ट का प्रभाव पड़ेगा उस पर वह एक प्रहार के समान पड़ेगा। यही कारण है कि सम्पूर्ण देश में इसके खिलाफ वातावरण हुआ और लोगों ने काले कानून के रूप में इसका सत्कार किया था। मैं नहीं जानता आज यह बिल फिर उसी रूप में इस देश में आया है जिसके कारण हमारे २० लाख स्वर्णकार

और करीब करीब उतने ही लोग जो दूसरे ढंग से इस व्यवसाय में सहयोग देते हैं उनके ऊपर असर पड़े। साथ ही साथ आज जो यह चाहते हैं कि इस कानून से स्मगलिंग को रोकें तो आप जाकर देखें कागज में जो यह कानून बना है उसका परिपालन कैसे हो रहा है, आप बम्बई के पोर्ट में जाय जहाँ पर जहाज में कोने की छड़ लद कर आती हैं, जो आपके पोर्ट में तो नहीं, उस पोर्ट के बगल में जहाज लगते हैं उनमें क्या आप चोरी छिपे सोना पकड़ सकते हैं। जिनके द्वारा आप पकड़ सकते हैं उनके बारे में कल ही वर्मा जी के एक प्रश्न के उत्तर में मालूम हुआ कि एयर इंडिया लाइन्स के अधिकारी ही अवैध व्यापार करते हैं। तो आपके जो स्वयं अपने अधिकारी हैं उनके चरित्र को आपने क्या सुधारा। दूसरी ओर जो हमारी सीमा पाकिस्तान या बर्मा या नेपाल से लगी हुई है, वहाँ से जो सोना स्मगलिंग होता है, उसको आप कैसे रोकने वाले हैं। अभी डाह्याभाई पटेल ने कहा सुखड़िया साहब क्या कर रहे हैं.....

श्री डाह्याभाई व० पटेल : हाईकोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उनके बारे में वहाँ पर कहा जाता है कि स्मगलिंग के भी चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री के० सी० पन्त : आपको शायद किस्सा पता नहीं, उनसे पूछ लीजियेगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वह तो यह कह रहा है कि आपका भी संरक्षण उन्हें प्राप्त है जिसके कारण वह इस तरह का व्यापार करने में सक्षम हो रहे हैं।

तो मैं स्पेसिफिकली चार पांच बातों के बारे में सदन को संतोष दिलाने के लिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर सिलेक्ट कमेटी के लोगों को भी विचार में लाने का अवसर आए कि क्या इसके द्वारा सचमुच तस्कर व्यापार रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि तस्कर

[ श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ]

व्यापार रोकने वाले जो आपके अधिकारी हैं उनके चरित्र को सुधार कर क्या यह काम कराया जा सकता है ; हमारे यहां एक कहावत प्रचलित है कि हमें सरकारी नौकर बना दो चाहे आधी तनख्वाह भी दो क्योंकि हम पैसा बना लेंगे। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जहां बड़े पैसा कमाने लगे। नेपाल की सीमा पर आपने अधिकारी बैठाए हैं गांजे के व्यापार को रोकने के लिए, लेकिन हम देखते हैं किस तरह मोटरों में, जीपों में रोज इस देश के अन्दर गांजा आता है। अपनी तनख्वाह से अधिक रुपया पुलिस अधिकारी पेंदा कर लेते हैं। यह तस्कर व्यापार का जो कानून बना रहे हैं यह देश के लिये नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों के हाथ में अधिकार देने के लिये कानून है जो तस्कर के व्यापार में अधिक से अधिक पैसा कमा रहा है। इस लिये उन आफिसरों को सुधारने की आपकी क्या जिम्मेदारी है ?

तीसरी बात यह है कि इस कानून के चलते जो हमारे स्वर्णकार बंधू और उनके सहयोगी लोग जो एफेक्टुअल है उनके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे। आपने इसके द्वारा उनको जिस प्रकार अवैध व्यापार करने के लिये बाध्य किया, या वह तबाह हुए या उनके लड़के बच्चे तबाह हो गये, तीन वर्ष के अंदर उनको कोई सुख-सुविधा नहीं दे सके, तो फिर इसका कठोरता से पालन कराने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे। [Time bell rings] कारीगरी जो सोने पर चलती है, जैसे मीनाकारी है वह सोना अगर 14 कैरट का हो तब भी काम हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां इसकी पतले स्तर पर कारीगरी होती है वहां जब तक बीस, बीस कैरट का सोना नहीं होगा तब तक उसका काम नहीं चल सकता है इसलिये उनके कारीगरों को इस वक्त . . .

श्री के० सी० पंत : अब तो 14 कैरट रहा ही नहीं। आप इस बिल को पढ़ तो लें। 14 कैरट हटा दिया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : खैर, आप देख लें कि इस बिल के जरिये जिनके ऊपर प्रहार होने वाला है उनकी सुख-सुविधा के लिये, जीविका के लिये, आप क्या कर रहे हैं। यदि इस पर स्पष्टीकरण हो जाय तो शायद इस बिल पर और भी विचार करने में प्रवर समिति के लोगों को सुविधा हो जायगी।

SHRI C. ACHUTHA MENON (Kerala): Mr. Vice-Chairman, I support the motion to refer the Bill to a Select Committee and while supporting the motion I have to make certain observations on the Bill. Sir, we are acquainted with the history of this legislation. When in 1962 the infamous Gold Control Order was promulgated which gave rise to a vast amount of distress to certain communities and to certain sections of the population, a terrific agitation arose. We all know that and because of the pressure of that agitation the Government was compelled to modify certain provisions in the Gold Control Order and subsequently they enacted the 1965 legislation. Further they are now bringing in this legislation. I do not wish to refer to the consequences of the Gold Control Order as promulgated in 1962 although I am inclined to agree with much of what my friend Mr. Yadav said with regard to that. Somebody from the.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : Mr. Menon, you might continue tomorrow.

#### HALF-AN HOUR DISCUSSION RE FLIGHT OF PAKISTANI AIRCRAFT OVER INDIAN TERRITORY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : Mr. Mani will move it and he will take about ten minutes. The Minister will take another ten minutes and I have got two other names. These Members will put questions.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I have your permission for seeking to raise a discussion on points arising out of the answers to